

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

45/2025 प्रा.पत्र/2025

21.05.2025

04.09.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जैन निवासी प्लॉट नं. 42 नेहरू नगर जेल रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स नेहरू नगर जेल रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड-304001 मोबाईल नं. 9636322719
- 2-मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स नेहरू नगर जेल रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड-304001
- 3-श्री विशाल गिनोडिया पुत्र श्री मदन गोपाल गिनोडिया निवासी डी-81 यूनीक लकजीरिया, घीया मार्ग, सिन्धी कॉलोनी, सरदार सिंह हॉस्पिटल, बनीपार्क जयपुर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स गिनोडिया एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड-302013 मोबाईल नं. 9829450641
- 4-मैसर्स गिनोडिया एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड-302013 मोबाईल नं. 9829450641
- 5-श्री मदन गोपाल गिनोडिया पुत्र श्री सत्य नारायण निवासी 5393 सामरिया हाउस चौकडी घाट गेट जयपुर राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड-302013 मोबाईल नं. 9784809727
- 6-मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड-302013

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 04/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.05.2024 को समय 02:10 पी.एम. पर मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स नेहरू नगर जेल रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पृष्ठने पर श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. /मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।



.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ दुकान के गोदाम में प्लास्टिक के कट्टों में लगभग 120-130 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 ग्राम पैक एवं लगभग 300 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 200-200 ग्राम पैक धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं भिलावट की शंका होने पर श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्तु नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर डीए 01 एवं पैकिंग की दिनांक 12 अप्रैल 2024 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड) 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग-अलग प्रत्येक डिब्बे में 1-1 मूल पैक रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4045 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4045 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की एवं शेष बचे खाद्य पदार्थ धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड) कुल मात्रा 115 किलोग्राम को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर श्री सत्येन्द्र जैन की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स जैल रोड टोंक जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स गिनोडिया एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर का बिल पेश किया एवं मैसर्स गिनोडिया एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड ने मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना अवगत कराया।



प्रतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/930 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/2214/एक्ट/2024/2753 दिनांक 23.07.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zz)(xii) के अनुसार असुरक्षित (Unsafe) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरुद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में श्री मदन गोपाल गिनोडिया पुत्र श्री सत्य नारायण प्रोपरायटर मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर ने पुनः नमूना जांच रिपोर्ट हेतु अपील दायर की। इस बाबत उक्त नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर में भिजवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/212 दिनांक 20.02.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए(1482एफ)/2024 दिनांक 12.02.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। मात्र कुछ मानकों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ



प्रतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट
टोंक

कय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा खाद्य पदार्थ के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक...04/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन श्री करिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
टोंक
टोंक-राज0